राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 91/2010/सीकर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कारगिल इण्डिया प्रा.लि., जयपुर
द्वारा ड्राइवर अजीत सिंह पुत्र सवाई सिंह, दातारामगढ। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 05/09/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 210/आरएसटी/एनआरडी/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दि. 28.08.2003 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति 85,197/– को अपास्त करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.08.2003 को सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आरजे 14 1जी 5558 को बयाना से रूदावल के मध्य चेक किया गया। वक्त चैकिंग वाहन में 600 बैग आयातित डी.ए.पी. लदा था। सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक से वाहन में लदे माल से संबंधित बिल बिल्टी एवं चालान मांगे गये। प्रस्तुत दस्तावेज में माल प्रेषक फर्म मैसर्स कारगिल इंडिया प्रा.लि. के चालान संख्या 195 व 196 में राजस्थान का पता अंकित नहीं था, इस कारण सशक्त अधिकारी ने संदेह मानते हुए रा.वि.क.अ., 1994 की धारा 78(5) के तहत् परिवहनित माल कीमतन रूपये 2,83,989/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 85,197/– व्यवहारी पर आरोपित की गई। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2009 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत् राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच किये बिना केवल तकनीकी गलतियों को आधार बनाते हुए शास्ति आरोपण कार्यवाही की गई जो अविधिक एवं अनुचित है। प्रेषक एवं प्रेषिति राजस्थान राज्य में पंजीकृत व्यवसाई है एवं सभी संव्यवहार स्थानीय होना दस्तावेजों से प्रमाणित है। सभी संव्यवहार नियमित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है प्रेषक फर्म मैसर्स कारगिल इण्डिया प्रा.लि. द्वारा राज्य का कर वसूल कर राज्य कोष में जमा करा दिया गया था। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण उपायुक्त अपील्स ने उचित आधार पर अपास्त की है, जो उचित है।

6. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 07.09.2009 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

7. आदेश प्रसारित किया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष